FD

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम न. 2025 / 266

मुकदमा नम्बर 88 / 2025 दायर दिनांक–22.05.2025

सुरेश कुमार पुत्र जीवण जाति दरोगा निवासी ग्राम घोडीवारां कंला ,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

.... वादी

बनाम

1. विजेन्द्रसिंह पुत्र जीवण जाति दरोगा निवासी ग्राम घोडीवारां कंला, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. अरविन्द चौधरी पुत्र श्री हरिराम चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम बजावा तहसील गुढागौडजी , जिला झुझुंनू
3. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ, जिला झुझुंनू

.... प्रतिवादी

दावा – विभाजन

प्रतिनिधत्वः–

वकील वादी– श्री श्रवण सिंह

प्रतिवादी सं. 1– एक पक्षीय

प्रतिवादी सं. 2– श्री प्रदीप कुमार झाझडिया

प्रतिवादी सं. 3 – पैरो. राज.

–:निर्णयः–

निर्णय दिनांक 01.07.2025

वाद वादी विभाजन का इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम घोडीवारां कंला पटवार हल्का माण्डासी में स्थित आराजी खसरा नं. 709 / 423 रकबा 0.35 है0 का वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हिस्से ब मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की भूमि का अलग से खाता कायम किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण कि जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 3 की और से पैरो. राज. उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2 जरिये वकील उपस्थित हो

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

जवाब दावा पेश किया। जवाब दावे की नकल वकील वादी को दी गई। वादी ने जवाब दावे के अनुसार विभाजन किये जाने मे अपनी सहमति प्रकट की तथा मुताबिक जवाब दावे के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

वादी का वाद मुताबिक जवाब प्रतिवादी सं. 2 के अनुसार तथा जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार्य होने तथा आपसी सहमति से विभाजन किये जाने के निवेदन करने पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। वैसे भी प्रत्येक खातेदार को अपने हिस्से का विभाजन करवाने का पूर्ण अधिकार है।

—: आदेश :—

वाद वादी मुताबिक जवाब दावा प्रतिवादी सं. 2 व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वादी एंव प्रतिवादी सं. 2 में आपसी सहमति होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। राजस्व ग्राम घोडीवारां कंला पटवार हल्का माण्डासी में स्थित आराजी खसरा नं. 709/423 रकबा 0.35 है0 का वादी व प्रतिवादी सं. 1 का रिकार्ड मे दर्ज हिस्सा 2/7 प्रत्येक का (4/7 शामिल में) का जवाब दावा प्रतिवादी सं. 2 व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित अनुसार (जो इस आदेश साथ पढा जावेगा, इसका भाग होगा) अलग खाता तथा प्रतिवादी सं. 2 का रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा 3/7 का अलग खाता कायम /विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब दावा तथा उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
जिला– झुंझुनू

FD

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2025 / 266

मुकदमा नम्बर 88 / 2025 **दायर दिनांक–22.05.2025**

सुरेश कुमार पुत्र जीवण जाति दरोगा निवासी ग्राम घोडीवारां कंला ,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

.... **वादी**

बनाम

1. विजेन्द्रसिंह पुत्र जीवण जाति दरोगा निवासी ग्राम घोडीवारां कंला, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. अरविन्द चौधरी पुत्र श्री हरिराम चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम बजावा तहसील गुढागौडजी , जिला झुझुंनू
3. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ, जिला झुझुंनू

.... **प्रतिवादी**

दावा – विभाजन

डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी मुताबिक जवाब दावा प्रतिवादी सं. 2 व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वादी एंव प्रतिवादी सं. 2 में आपसी सहमति होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। राजस्व ग्राम घोडीवारां कंला पटवार हल्का माण्डासी में स्थित आराजी खसरा नं. 709 / 423 रकबा 0.35 है0 का वादी व प्रतिवादी सं. 1 का रिकार्ड मे दर्ज हिस्सा 2 / 7 प्रत्येक का (4 / 7 शामिल में) का जवाब दावा प्रतिवादी सं. 2 व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित अनुसार (जो इस आदेश साथ पढा जावेगा, इसका भाग होगा) अलग खाता तथा प्रतिवादी सं. 2 का रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा 3 / 7 का अलग खाता कायम /विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब दावा तथा उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

FD

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 01 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–